



2026:AHC:36386

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट -सी संख्या - 6488/2026

भोला वर्मा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ओमकार नाथ राय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विधिक सलाहकार, प्रतिवादियों के विधिक सलाहकार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यहां पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस देकर तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित/पीड़ित होता/होती है तो उसका/उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2/तेहसीलदार, तहसील तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर को निर्देशित किया जाए कि वह केस नंबर 13907/ 2024 (कंप्यूटरीकृत केस नंबर टी202405440313907) का शीघ्रतापूर्वक निर्णय करे।

4. याचिकाकर्ता के विधिक सलाहकार यह प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अधीन दायर एक आवेदन काफी समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) पर ध्यान देना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसा आवेदन दायर किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को समयबद्ध अवधि के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से इसका निपटारा करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7):

"(7). तहसीलदार, अविवादित अभिलेख-संशोधन मामले का निर्णय मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा और विवादित अभिलेख-संशोधन मामले का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसके लिए कारण अभिलिखित किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के आलोक में तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विधिक अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों के प्रकाश में, प्रतिवादी संख्या 2/तेहसीलदार, तहसील तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वह उक्त आवेदन को उठाए तथा इसका निपटारा "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इसके अपने गुणावगुण के आधार पर विधि के अनुसार कड़ाई से, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक तथा यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर करे, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

6. उपरोक्त अवलोकनों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

18 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”